

ई नीलामी सूचना

ऋण वसूली अधिकरण,

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएँ विभाग (बैंकिंग प्रभाग)
द्वितीय एवं तृतीय तल, संचार विकास भवन (बीएसएनएल बिल्डिंग), रेजीडेंसी रोड,
हेड पोस्ट ऑफिस के पास, साउथ सिविल लाइन्स, जबलपुर- (म.प्र.) 482001

प्रकरण संख्या :: RC/239/2024/ओ.ए.नं. 603/2020

ई-नीलामी क्रमांक 155 / 2026

PUNJAB NATIONAL BANK वि Smt. RESHAM BAI एवं अन्य में पारित वसूली प्रमाण पत्र क्रमांक RC 239/2024/ O.A. No.603/2020 में जारी राशि की वसूली हेतु प्रमाण पत्र Rs.30,20,472.27 (Rupees Thirty Lakh Twenty Thousand Four Hundred Seventy Two and Twenty Seven Paise only) तथा उस पर 10.00 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से दिनांक 05.08.2020 से व्याज एवं वसूली हेतु निम्नलिखित संपत्ति ऑनलाईन ई-नीलामी प्रक्रिया के तहत वेबसाइट <https://baanknet.com> के माध्यम से की जायेगी।

ई नीलामी की तिथि एवं समय - 10.09.2026 दोपहर 12:00 से 01:00 बजे तक

संपत्ति की अनुसूची -

क्र.सं.	विक्रय हेतु प्रस्तावित संपत्ति का विवरण	आरक्षित/न्यूनतम मूल्य	ई.एम.डी. राशि
1.	Agriculture Land Survey No. 273 area 1.050 hect; 299 Area 1.080 hect; 303 area 1.310 hect; total area 3.44 hect.; situated at Village Jamodi (Baniyakheda), Tehsil Tonk Khurd, Patwari Halka No.-29, District-Dewas (M.P.).	For Prop. No. 1 Rs.65,40,000.00 Rupees Sixty Five Lakh Forty Thousand only);	for Prop. No. 1 Rs.6,54,000.00 (Rupees Six Lakh Fifty Four only);
2.	Agriculture Land Survey No. 251 area 0.380 hect; 260 area 0.100 hect; 295 area 0.250 hect; 525 area 0.260 hect; 2320/1034 area 0.200 hect., total area 1.190 hect.; situated at Village-Jamodi (Baniyakheda), Tehsil Tonk Khurd, Patwari-Halka No.-29, District-Dewas (M.P.).	for Prop. No. 2 Rs.22,70,000.00 Rupees Twenty Two Lakh Seventy Thousand only);	for Prop. No. 2 Rs.2,27,000.00 (Rupees Two Lakh Twenty Seven Thousand only);
3.	Agriculture Land Survey No. 250 area 0.370 hect; 261 area 0.210 hect; 262 area 0.100 hect; 271 area 0.200 hect; 1044 area 0.250 hect; total area 1.130 hect.; situated at Village-Jamodi (Baniyakheda), Tehsil Tonk Khurd, Patwari-Halka No.-29, District-Dewas (M.P.).	for Prop. No. 3 Rs.21,50,000.00 for (Rupees Twenty One Lakh Fifty Thousand only);	for Prop. No. 3 Rs.2,15,000.00 (Rupees Two Lakh Fifteen Thousand only);
4.	Agriculture Land Survey No. 304 area 0.700; 500 area 0.410 hect.; total area 1.110 hect.; situated at Village Jamodi Baniyakheda), Tehsil-Tonk Khurd, Patwari-Halka No.-29, District-Dewas (M.P.).	for Prop. No. 4 Rs.21,10,000.00 (Rupees Twenty One Lakh Ten Thousand only)	for Prop. No. 4 Rs.2,11,000.00 (Rupees Two Lakh Eleven Thousand only);

1. विक्रय की सभी शर्तें ऋणों की वसूली एवं दिवालियापन अधिनियम, 1993 के प्रावधानों तथा आसकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय एवं तृतीय अनुसूचियों, आसकर (प्रमाणपत्र कार्यवाही) नियम, 1962 के साथ पठित प्रावधानों द्वारा शासित होगी तथा समय-समय पर यथासंशोधित सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के प्रावधानों से भी निर्देशित होगी।

2. इच्छुक निविदाकर्ता निम्न सेवा प्रदाता से ऑनलाईन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।

नीलामी एजेंसी	Bank Asset Auction Network (BAANKNET)
हेल्पलाइन नं.	+91-82912-20220
हेल्पलाइन ईमेल	support.baanknet@psballiance.com
थीक अधिकारी	Shri Shashikant Savita, Chief Manager, Mob.No. 9458278680
संपत्ति निरीक्षण की तिथि एवं समय	31-08-2026 दोपहर 12.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक

3 इच्छुक बोलीदाता बोली प्रपत्र, विस्तृत विवरण एवं विक्रय की शर्तों हेतु वेबसाइट <https://baanknet.com> का अवलोकन करें।

4 बोलीदाता (bids) केवल ऑनलाइन माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत की जाएंगी। प्रत्येक बोली के साथ पैम काई की प्रति, पते का प्रमाण, पहचान पत्र ई-मेल आईडी तथा मोबाइल नंबर की प्रतिलिपि संलग्न करना अनिवार्य होगा। कंपनी के मामले में, कंपनी के निर्देशक मंडल द्वारा पारित बोर्ड प्रस्ताव (Board Resolution) की प्रमाणित प्रति अथवा कंपनी की ओर से प्रतिनिधित्व/अधिकार-पत्र (Power of Attorney/Authorization) को प्रमाणित करने वाला कोई अन्य वैध दस्तावेज बोली प्रपत्र के साथ संलग्न किया जाएगा। बोलीदाता संपत्ति के विवरण क्षैतिज/माप प्रमाणों (Encumbrances), दायित्वों तथा अन्य संबंधित तथ्यों की शुद्धता एवं सत्यता के संबंध में स्वयं अपने स्तर पर संवेक्षित सरकारी कार्यालयों अथवा अन्य सक्षम स्रोतों से जांच-पड़ताल कर पूर्णतः संतुष्ट हों। इस संबंध में प्रविश्य में उत्पन्न होने वाली किसी भी त्रुटि, विवेकगति, कमी अथवा विवाद के लिए ऋण वसूली अधिकरण (DRT) उत्तरदायी नहीं होगा।

5 आरक्षित मूल्य का 10% अर्थात् रु. for Prop. No. 1 Rs.6,54,000.00 (Rupees Six Lakh Fifty Four thousand only); for Prop. No. 2 Rs.2,27,000.00 (Rupees Two Lakh Twenty Seven Thousand only); for Prop. No. 3 Rs.2,15,000.00 (Rupees Two Lakh Fifteen Thousand only); for Prop. No. 4 Rs.2,11,000.00 (Rupees Two Lakh Eleven Thousand only); ईएमडी के रूप में BAANKNET पोर्टल में जमा करना होगा तथा उसका विवरण बोली प्रपत्र में अंकित करना होगा।

6 ऑनलाइन बोली दिनांक 08-09-2026 को सायं 5:00 बजे तक प्रस्तुत की जा सकेगी।

7 ऑनलाइन प्रस्तुत बोली प्रपत्र एवं संलग्नकों की प्रति वसूली अधिकारी, बीआरटी, जबलपुर, द्वितीय एवं तृतीय तल, संचार विकास भवन (बीएसएनएल भवन), रेजीडेंसी रोड, मुख्य हाकर के निकट, दक्षिण सिविल लाइन्स, जबलपुर को यथास्थिति प्रेषित की जाएगी।

8 ऑनलाइन बोली प्रक्रिया प्राप्त उच्चतम बोली से प्रारंभ होगी तथा प्रत्येक अगली बोली में न्यूनतम वृद्धि रु. for Prop. No. 1 Rs.70,000.00 (Rupees Seventy Thousand only); for Prop. No. 2 Rs.25,000.00 (Rupees Twenty Five Thousand only); for Prop. No. 3 Rs.22,000.00 (Rupees Twenty Two Thousand only); for Prop. No. 4 Rs.22,000.00 (Rupees Twenty Two Thousand only); होगी। नीलामी समाप्ति से पूर्व कोई बोली प्राप्त होने पर प्रणाली द्वारा नीलामी समय स्वतः 5 मिनट के लिए बंद दिया जाएगा।

9 असफल बोलीदाताओं की ईएमडी उसी राते में वापस की जाएगी जिससे भुगतान किया गया था। इस संबंध में कोई भी पताचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। ईएमडी जमा करने के पश्चात बोलीदाता उसे वापस नहीं ले सकेगा अन्यथा राशि जब्त कर ली जाएगी।

10 सफल संपत्ति के मामले में सफल उच्चतम बोलीदाता को घोषणा के अगले दिन, अपनी बोली स्वीकृत होने पर, बोली राशि का 25% (ईएमडी घटाकर) CENTRAL BANK OF INDIA, DHOBIGHAT BRANCH, JABALPUR में वसूली अधिकारी, ई-नीलामी खाता बीआरटी जबलपुर, खाता संख्या 5692799461, आईएफएससी कोड CBIN0281618 ने RTGS/NEFT द्वारा जमा करना होगा। धूक होने पर संपत्ति पुनः विक्रय हेतु प्रस्तुत की जाएगी।

ईएमडी जमा कर ली जाएगी।

11 सफल बोलीदाता को 5% राशि तथा विक्रय राशि का 1% पार्श्वेज शुल्क एवं प्रत्येक संपत्ति पर अतिरिक्त रु.10/- नीलामी की तिथि से 15 दिनों के भीतर, क्रम संख्या 10 में उल्लिखित खाता संख्या 5692799461 में आरटीजीएस (RTGS) / एनईएफटी (NEFT) / मनी ऑर्डर के माध्यम से जमा करना होगा। यदि पंद्रहवें दिन रविवार अथवा अन्य अवकाश का दिन हो, तो भुगतान उसके पश्चात आने वाले प्रथम कार्य दिवस पर किया जा सकेगा। निश्चित अवधि के भीतर भुगतान न किए जाने की स्थिति में, संपत्ति के विक्रय हेतु नवीन विक्रय घोषणा (Fresh Proclamation of Sale) जारी कर पुनः नीलामी की जाएगी। ऐसी स्थिति में जमा की गई राशि सरकार के पक्ष में जफत (Forfeited) कर ली जाएगी तथा धूक करने वाला क्रेता (Defaulting Purchaser) उक्त संपत्ति अथवा उसके

0.258 hect., 525 area 0.268 hect.;
2320/1034 area 0.200 hect., total area
1.190 hect.; situated at Village-Jamodi
(Baniyakheda), Tehsil Tonk Khurd,
Patwari-Halka No.-29, District-Dewas
(M.P.).
3. Agriculture Land Survey No. 250 area
0.370 hect; 261 area 0.210 hect; 262 area
0.100 hect; 271 area 0.200 hect; 1044 area
0.250 hect; total area 1.130 hect.; situated
at Village-Jamodi (Baniyakheda), Tehsil
Tonk Khurd, Patwari-Halka No.-29,
District-Dewas (M.P.).
4. Agriculture Land Survey No. 304 area
0.700; 500 area 0.410 hect.; total area
1.110 hect.; situated at Village Jamodi
(Baniyakheda), Tehsil-Tonk Khurd,
Patwari-Halka No.-29, District-Dewas
(M.P.).

Seventy
Thousand only);
for Prop. No. 3
Rs.21,50,000.00 for
(Rupees Twenty One
Lakh Fifty Thousand
only);
for Prop. No. 4
Rs.21,10,000.00
(Rupees Twenty One
Lakh Ten Thousand
only)

Lakh Twenty
Seven Thousand
only);
for Prop. No. 3
Rs.2,15,000.00
(Rupees Two
Lakh Fifteen
Thousand only);
for Prop. No. 4
Rs.2,11,000.00
(Rupees Two
Lakh Eleven
Thousand only);

1. विक्रय की सभी शर्तें ऋणों की वसूली एवं दिवालियापन अधिनियम, 1993 के प्रावधानों तथा आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय एवं तृतीय अनुसूचियों, आयकर (प्रमाणपत्र कार्यवाही) नियम, 1962 के साथ पठित प्रावधानों द्वारा शासित होंगी तथा समय-समय पर यथासंशोधित सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के प्रावधानों से भी निर्देशित होंगी।

2. इच्छुक निविदाकर्ता निम्न सेवा प्रदाता से ऑनलाईन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।

निलामी एजेंसी	Bank Asset Auction Network (BAANKNET)
हेल्पलाइन नं.	+91-82912 20220
हेल्पलाइन ईमेल	support.baanknet@psballiance.com
चैक अधिकारी	Shri Shashikant Savita, Chief Manager, Mob.No. 9458278680
संपत्ति निरीक्षण की तिथि एवं समय	31-08-2026 दोपहर 12.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक

3 इच्छुक बोलीदाता बोली प्रपत्र, विस्तृत विवरण एवं विक्रय की शर्तें हेतु वेबसाइट <https://baanknet.com> का अवलोकन करें।

4 बोलीपत्र (bids) केवल ऑनलाईन माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत की जाएगी। प्रत्येक बोली के साथ पैर कार्ड की प्रति, पते का प्रमाण, पहचान-पत्र ई-मेल आईडी तथा मोबाइल नंबर की प्रतिलिपि संलग्न करना अनिवार्य होगा। कंपनी के मामले में, कंपनी के निर्देशक मंडल द्वारा पारित बोर्ड प्रस्ताव (Board Resolution) की प्रमाणित प्रति अथवा कंपनी की ओर से प्रतिनिधित्व/अधिकार-पत्र (Power of Attorney/Authorization) को प्रमाणित करने वाला कोई अन्य वैध दस्तावेज बोली प्रपत्र के साथ संलग्न किया जाएगा। बोलीदाता संपत्ति के विवरण श्रेष्ठफल/माफ प्रभारों (Encumbrances), दायित्वों तथा अन्य संबंधित तथ्यों की शुद्धता एवं सत्यता के संबंध में स्वयं अपने स्तर पर संवेधित सरकारी कार्यालयों अथवा अन्य सक्षम स्रोतों से जांच-पड़ताल कर पूर्णतः संतुष्ट हो लें। इस संबंध में भविष्य में उत्पन्न होने वाली किसी भी त्रुटि, विवेकगति, कमी अथवा विवाद के लिए ऋण वसूली अधिकरण (DRT) उत्तरदायी नहीं होगा।

5 आरक्षित मूल्य का 10% अर्थात् रु. for Prop. No. 1-Rs.6,54,000.00 (Rupees Six Lakh Fifty Four thousand only); for Prop. No. 2 Rs.2,27,000.00 (Rupees Two Lakh Twenty Seven Thousand only); for Prop. No. 3 Rs.2,15,000.00 (Rupees Two Lakh Fifteen Thousand only); for Prop. No. 4-Rs.2,11,000.00 (Rupees Two Lakh Eleven Thousand only); ईएमडी के रूप में BAANKNET वेबसाइट में जमा करना होगा तथा उसका विवरण बोली प्रपत्र में अंकित करना होगा।

6. ऑनलाईन बोली दिनांक 08-09-2026 को सायं 5:00 बजे तक प्रस्तुत की जा सकेगी।

7. ऑनलाईन प्रस्तुत बोली प्रपत्र एवं संलग्नकों की प्रति वसूली अधिकारी, डीआरटी, जयलपुर, द्वितीय एवं तृतीय तल, संयार विकास भवन (वीएसएनएस भवन), रेजीडेंसी रोड, मुख्य बाजार के निकट, दक्षिण सिविल लाइन्स, जयलपुर को यथासीध प्रेषित की जाएगी।

8. ऑनलाईन बोली प्रक्रिया प्राप्त उच्चतम बोली से प्रारंभ होगी तथा प्रत्येक अगली बोली में न्यूनतम वृद्धि रु. for Prop. No. 1 Rs.70,000.00 (Rupees Seventy Thousand only); for Prop. No. 2 Rs.25,000.00 (Rupees Twenty Five Thousand only); for Prop. No. 3 Rs.22,000.00 (Rupees Twenty Two Thousand only); for Prop. No. 4-Rs.22,000.00 (Rupees Twenty Two Thousand only); होगी। नीलामी समाप्ति से पूर्व कोई बोली प्राप्त होने पर प्रणाली द्वारा नीलामी समय स्वतः 5 मिनट के लिए बंद दिया जाएगा।

9. असफल बोलीदाताओं की ईएमडी उसी खाते में वापस की जाएगी जिससे भुगतान किया गया था। इस संबंध में कोई पताचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। ईएमडी जमा करने के पश्चात बोलीदाता उसे वापस नहीं ले सकेंगे अन्यथा राशि जमा कर ली जाएगी।

10. स्थावर संपत्ति के मामले में सफल उच्चतम बोलीदाता को घोषणा के अगले दिन, अपनी बोली स्वीकृत होने पर, बोली राशि का 25% (ईएमडी धारक) CENTRAL BANK OF INDIA, DHOIGHAT BRANCH, JABALPUR. में वसूली अधिकारी, ई-नीलामी खाता डीआरटी जयलपुर, खाता संख्या 5692799461, आईएफएससी कोड CBIN081618 ने RTGS/NEFT द्वारा जमा करना होगा। चूक होने पर संपत्ति पुनः विक्रय हेतु प्रस्तुत की जाएगी।

ईएमडी जमा कर ली जाएगी।

11 सफल बोलीदाता को दोष 75% राशि तथा विक्रय राशि का 1% पाठंछेज शुल्क एवं प्रत्येक संपत्ति पर अतिरिक्त रु.10/- नीलामी की तिथि से 15 दिनों के भीतर, क्रम संख्या 10 में उल्लिखित खाता संख्या 5692799461 में आरटीजीएस (RTGS) / एनईएफटी (NEFT) / मनी ऑर्डर के माध्यम से जमा करना होगा। यदि प्रेक्लामेड दिन रविवार अथवा अन्य अवकाश का दिन हो, तो भुगतान उसके पश्चात आने वाले प्रथम कार्य-दिवस पर किया जा सकेगा। निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान न किए जाने की स्थिति में संपत्ति के विक्रय हेतु नवीन विक्रय उद्घोषणा (Fresh Proclamation of Sale) जारी कर पुनः नीलामी की जाएगी। ऐसी स्थिति में जमा की गई राशि सरकार के पास में जफ्त (Forfeited) कर ली जाएगी तथा धूक करने वाला क्रेता (Defaulting Purchaser) उक्त संपत्ति अथवा उसके पुनर्विक्रय से प्राप्त किसी भी राशि पर अपना संलग्न दावा एवं अधिकार खो देगा।

12. संपत्ति का विक्रय 'ऐसी है जहाँ है' तथा बिना किसी शिकायत के आधार पर (As is Where is and No Complaint Basis) किया जाएगा।

13. संपत्ति का विक्रय आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं किया जाएगा।

14. वसूली अधिकारी को दिना कारण बताए किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने अथवा विक्रय स्थगित / निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

15. इच्छुक बोलीदाता बैंक के पास उपलब्ध स्वामित्व अभिलेखों का अवलोकन करें तथा संपत्ति की पहचान, विवरण एवं भार आदि की स्वयं जांच करें। इसकी शुद्धता के लिए डीआरटी उत्तरदायी नहीं होगा।

16. बोलीदाता अपनी इच्छानुसार किसी भी स्थान से ई-नीलामी में भाग ले सकते हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना उनकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी। इंटरनेट, नेटवर्क, सिस्टम क्रेय या विद्युत व्यवधान के लिए डीआरटी / बैंक/सेवा प्रदाता उत्तरदायी नहीं होंगे।

17. उच्चतम बोली अनुमोदन के अधीन अस्थायी रूप से स्वीकार की जाएगी। विक्रय की पुष्टि होने तक बोलीदाता को संपत्ति पर कोई अधिकार या स्वामित्व प्राप्त नहीं होगा।

18. विक्रय पर लागू स्टाम्प शुल्क, पंजीयन शुल्क एवं अन्य वैधानिक शुल्क सफल क्रेता द्वारा भुगतान किए जाएंगे।

19. विक्रय प्रमाणपत्र केवल उन्हीं व्यक्तियों/व्यक्तियों के नाम जारी किया जाएगा जिनके नाम बोली प्रपत्र में उल्लिखित हैं।

20. विक्रय प्रमाणपत्र में बोली प्रपत्र में उल्लिखित नामों के अतिरिक्त किसी अन्य नाम को जोड़ने या प्रतिस्थापित करने का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।

21. बोलीदाता अपने यूजर आईडी, पासवर्ड एवं अन्य गोपनीय जानकारी किसी को भी प्रकट न करें।

22. बोलीदाताओं को समय विलंब, अधिक ट्रैफिक, सिस्टम / विद्युत विफलता जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अतः अंतिम समय तक प्रतीक्षान करने की सलाह दी जाती है।

23. ई-नीलामी सेवा प्रदाता, बैंक के अधिकारी, उनके प्रतिनिधि, कर्मचारी एवं एजेंट ई-नीलामी में भाग लेने वाले बोलीदाताओं के विवरणों की पूर्ण गोपनीयता बनाए रखेंगे।

स्थान - जयलपुर, दिनांक - 22.07.2026

(प्रती देसाई)
वसूली अधिकारी -1